रहस्यमय मुकदमा : कतर में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों का मामला

द हिंदू

पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

कथित तौर पर जासूसी के आरोपी आठ भारतीयों को गुरुवार को कतर की एक अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, वाकई "बेहद चौंकाने वाली" है और यह स्थिति अब नरेन्द्र मोदी सरकार की कूटनीतिक कौशल का एक बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली है। अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के खिलाफ आरोपों और सबूतों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और यह पूरा मुकदमा गोपनीयता के घेरे में है। नौसेना कर्मियों के परिजनों और दोहा स्थित भारतीय राजनयिकों की अपील के बावजूद, कतर ने इस मामले का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिए जाने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। यहां तक कि अदालत का फैसला भी अभी तक नई दिल्ली के साथ साझा नहीं किया गया है। लीक हुई खबरों से यह पता चलता है कि इन लोगों पर एक जासूसी पनडुब्बी कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने काम किया था, से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी तीसरे देश के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उनके परिजनों ने इस आरोप से इनकार किया है। उदारता और पारदर्शिता की गुहार लगाने के मकसद से भारतीय अधिकारियों की कतर की यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि यह मामला पूर्व नौसेना कमांडर जाधव के मामले से कुछ मिलता-जुलता है। जाधव भी पाकिस्तान में मौत की सजा पर हैं। फर्क बस इतना सा है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर रहे हैं। रणनीतिक और रक्षा सहयोग समझौतों के अलावा, भारत अपनी एलएनजी संबंधी जरूरतों का 40 फीसदी हिस्सा कतर से पूरा करता है। भारत कतर के आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है। खासकर, निर्माण के लिए कच्चे माल और ताजा खाद्य पदार्थों का। प्रासंगिक रूप से, 2017 में कतर के खिलाफ खाड़ी देशों की नाकेबंदी के बावजूद ये आपूर्ति जारी रही थी जिसके लिए भारत के प्रति कुछ सद्भावना दिखाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा, 7,00,000 प्रवासी भारतीय कतर के विभिन्न संस्थानों, उद्योग जगत और श्रमशक्ति का अभिन्न हिस्सा हैं। रिश्तों में दरार, जोकि इस किस्म के फैसले से पैदा हो सकती है, दोनों देशों के लिए नुकसानदायक साबित होगी और भारत को यह बात कतर के सामने साफ कर देनी चाहिए।

सरकार को इन भारतीय लोगों को अपील के दौरान सर्वोत्तम संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अगले कदमों की रूपरेखा तैयार करने में कोई समय जाया नहीं करना चाहिए। कानूनी अपील की प्रक्रिया और राजनयिक कार्यवाहियों के अलावा, अगर जरुरत पड़े तो प्रधानमंत्री सहित उच्चतम स्तर पर कतर के नेतृत्व के साथ संवाद तंत्र को सक्रिय किया जाना चाहिए। अगर अपील की प्रक्रिया में ये लोग वास्तव में दोषी पाए जाते हैं, तो माफी और मौत की सजा को जेल की वैसी सजा में बदलने की बात रखी जानी चाहिए, जिसे भारत में भी भुगता जा सके। अदालत के इस फैसले को उन भू-राजनैतिक पहलुओं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूदा संघर्ष के मसले पर भारत के साथ कतर के नीतिगत मतभेद भी शामिल हैं, से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करने वाली तमाम खबरों के बावजूद, सरकार को यह दर्शाना होगा कि इन भारतीय लोगों का जीवन वास्तव में इस देश और "कोई भी भारतीय पीछे न छूटे" की नीति का दावा करने वाली सरकार के लिए सर्वोपरि है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी गई फांसी को कतर के मीर माफ कर सकते हैं।
2. भारत के पास UNCLOS कानून के तहत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का भी विकल्प है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. The Mir of Qatar can forgive the death sentence given to former Indian marines in Qatar.
2. India also has the option to go to the International Court under the UNCLOS law.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : कतर में भारतीय नौसैनिकों को फांसी के मामले में भारत सरकार के पास मौजूद विकल्पों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में कतर में फांसी दिए जाने के वर्तमान मामले की संक्षिप्त चर्चा करें।
- दूसरे भाग में सरकार के पास मौजूद कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी विकल्पों की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।